न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—116/2023

प्रार्थी :—

भेराराम पुत्र वेहनाराम जाति कलबी निवासी सुईली तहसील समदडी जिल बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. थानाराम पुत्र हबताराम जाति कलबी निवासी सईली तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधि भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री उम्मेदसिंह चम्पावत व श्री महावीर सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.08.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 32 रकबा 1.8464 हैक्टेयर मौजा सुईली में अवस्थित है। प्रार्थी के खेत के बदिशा पश्चिम में खसरा संख्या 31 व बिदशा पूर्व में खसरा संख्या 34 व 35 तथा बदिशा दक्षिण में खसरा संख्या 33 की भूमि आयी हुई है। खसरा संख्या 33 रकबा 1.9728 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। राजस्व अभिलेख कम्प्यूटराइज किये जाने के दौरान प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 32 को खसरा सख्या 33 के स्थान पर व खसरा संख्या 33 को खसरा संख्या 32 के स्थान पर राजस्व अभिलखे के नक्शे में दर्शा दिया है खसरा संख्या 32 पीढ़ियों से ही खसरासंख्या 33 के बदिशा उत्तर में उसके सेढे के लगते ही स्थित है जिस पर प्रार्थी के आवासीय मकानात वगैरा बने हुए है लेकिन रास्व कर्मचारियों ने वर्तमान में राजस्व अभिलेख ऑनलाईन करते समय प्रार्थी की खसरे की भूमि को खसरा संख्या 32 के स्थान पर गलत तौर से दर्शा व विप्रार्थी संख्या 1 की भूमि को प्रार्थी की भूमि के स्थान पर दर्शा दिए जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया है। प्रार्थी व विप्रार्थी के मध्य कोई दूर्भीसंधि वगैरा नही है न ही उक्त [illegible] किसी सक्षम न्यायालय अथवा सिकी सक्षम अधिकारी के आदेश से ही किया गया है। दोनों खसरान के पूर्व में राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदारी के अनुरूप ही राजस्व अभिलेख को [illegible] गया है। मात्र राजस्व अभिलेख के नक्शे में खसरा संख्या 32 के स्थान पर 33 व खसरा संख्या 33 के स्थान पर खसरा संख्या 32 का ही रदोबदल किया गया जिसके दुरूस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री नेहपालसिंह ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक भू.अ./2025/1950 दिनांक 25.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 32 के बदिशा दक्षिण में विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 33 अवस्थित है। तहसील समदडी को ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से खसरा संख्या 32 के स्थान पर खसरा संख्या 33 को व खसरा संख्या 33 के स्थान पर खसरा संख्या 32 को दर्शात हुए राजस्व रेकर्ड के नक्शे में इन्द्राज कर दिया । प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के मध्य न तो कोई दूर्भीसंधि थी न ही उक्त परिवर्तन करने का किसी सक्षम न्यायालय का अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश ही राजस्व कर्मचारियों के पास था प्रार्थी अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि यदि उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाता है तो विवादित भूमियों के रकबे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। प्रार्थी अधिवक्ता ने राजस्व कर्मचारियो द्वारा किये गये उक्त त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि विप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त प्रार्थी के खसरा संख्या 32 के उत्तर में ही है। तथा उक्त भूमि पर विप्रार्थी के मकान बने हुए है विप्रार्थी वकील ने बहस मे कथन किया कि विप्रार्थी के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूठे तथ्य पर आधारित होने के कारण मय हर्जाना खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा जारी मीमोट्रेस क्रमांक 3520 दिनांक 10.11.2022 हल्का पटवारी के पास उपलब्ध लट्ठाट्रेस तथा पटवारी बामसीन द्वारा दिनांक 22.04.21975 को जारी पास बुक में प्रार्थी का खसरा 32 बदिशा उत्तर में तथा विप्रार्थी संख्या 1 का खसरा संख्या 33 बदिशा दक्षिण में दर्ज है। तहसीलदार समदड़ी के रिपोर्ट अनुसार भू–नक्शा पर ऑनलाईन नक्शा में खसरा संख्या 32 के स्थान पर उत्तर में खसरा संख्या 33 व खसरा संख्या 33 के स्थान पर दक्षिण में खसरा संख्या 32 दर्ज हो गया । यदि उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाता है तो विवादित भूमि के रकबे पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा। तहसीदार समदडी द्वारा [illegible] विवादित भूमि की त्रुटि को दूरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुईली तहसील समदड़ी की प्रार्थी का खसरा संख्या 32 व विप्रार्थी के खसरा संख्या 33 को तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते । तहसीलदार समदड़ी को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित नजरी नक्शा में प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:48 IST
Reason: SelfAttested

मजरी नक्शा

मौजा सुईली

खसरा संख्या - 32,33

अशुद्ध प्रविष्टि

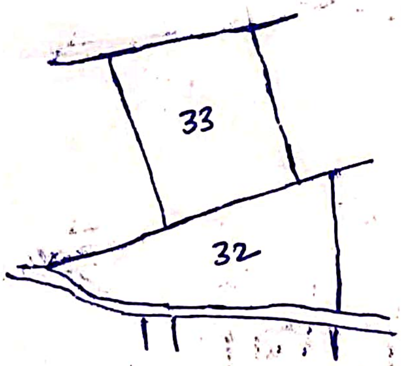

प्रस्तावित शुद्ध प्रविष्टि

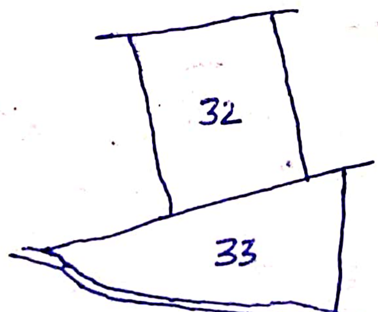

EX-Court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:40:48 IST
Reason: SelfAttested

Kesh

प. बामसीन

तहसीलदार (भू-अ.) समदड़ी